



Methods of Conflict Resolution

Conflict is an inevitable and inescapable fact of humans living in society. It is the outcome of inevitable outcome of human relationship in society. R.C.North states "A conflict emerges whenever two or more persons or groups seek to possess the same objects, occupy the same space or the same exclusive positions, play incompatible roles, maintain incompatible goals or undertake mutually incompatible means for achieving their ends". To live peacefully, conflicts have to be resolved otherwise there will be chaos, instability or a revolution. Conflict can be resolved by adopting certain means or methods. The present paper highlights the importance of methods which can help resolve conflicts and bring peace and harmony in the society.

M.SHAFI BHAT

Introduction :

Conflict is an inevitable feature of human relations in every society. It is the outcome of human desire for dominance. In other words, conflict is the result of diversity of interests and values. This incompatibility of a man to achieve his ends leads to conflict in the society. To Robert Dahl Conflict is an inescapable aspect of community and hence of human beings.

Methods of Conflict Resolution :

Amicable or Pacific Means :

The Charter of U.N has recognised the peaceful settlement of disputes as one of the principles of the United Nations. Para 3 of Article 2 lays down that 'all members shall settle their international disputes by peaceful means'.

Through Negotiations the states can resolve their disputes. When the disputant states settle their disputes themselves by discussion or by adjusting their differences, it is called negotiation. Negotiation can be carried on either by the Heads of the states or by their accredited representatives or by diplomatic agents. It also includes correspondence between the disputant states. Negotiation is the simplest form of settling the disputes. It helps the disputant states to bring about the needed change by mutual consent.

Good Offices : When the parties are not inclined to settle their dispute by negotiation or when they fail to settle their disputes by negotiation, they may take the assistance of a third party in resolving their differences. The third party may be appointed by the parties themselves or by the Security Council. The third part may be a state or an individual, usually an eminent individual of a third state,

whether in a private capacity or by virtue of high political office in that state.

When the third party arranges a meeting of the disputant parties so that they may settle the dispute by negation or wherein he acts in such a way so that a peaceful solution may be reached, the act is called Good Offices.

Mediation : When the third party participates in the discussion along with the disputant states, and also gives its own suggestions in resolving the dispute, the process is known as Mediation. The mediator is required to be neutral and impartial. Mediation of Soviet Premier Kosygin resulted in the conclusion of Tashkent Agreement in 1966 between India and Pakistan.

Conciliation : When a dispute is referred to a commission or a committee to investigate the basis of the dispute and to make a report containing proposals for settlement after finding out the facts, the process is known as Conciliation.

Inquiry : When a commission is appointed consisting of impartial investigations for ascertaining he facts, the process is called Inquiry. The function of the commission is confined only to the ascertainment of the fact. However it is done from the judicial point of view and it also clarifies question of law or mixed question of laws and facts. Inquiry is constituted by special agreement between parties in dispute. The agreement defines the facts to be examined and the mode and time in which the commission is to be formed and the extent of the powers of the commission.

By United Nations : Settlement of disputes by peaceful means is one of the principles of United Nations as provided under Article 2, Para 3 of the Charter. The

Post Doctorate Fellow at ICSSR, New Delhi

General Assembly and Security Council have been empowered to discharge certain functions in this regard. Although the General Assembly has not been empowered to settle the disputes by any specific means, it may discuss a dispute under Article 11 Para 2 and may make recommendations to the disputant parties under Article 14 of the Charter for the measures which they may take for the peaceful adjustment of any situation, which it deems would likely to impair the general welfare of friendly relations among nations. Recommendations may be made by the Assembly after discussion which may take place when the matter is brought before it by any member of the United Nations, or by the Security Council or by a non-member of the United Nations. Thus the General Assembly has a general power for the peaceful settlement of disputes. Chapter VI of the U.N Charter provides the various modes by which the Security Council settles the disputes peacefully.

Judicial Settlement of Disputes :

When a dispute is settled by the international tribunal in accordance with the rules of International Law, it is called Judicial Settlement. A tribunal may acquire an international character because of its organisation and jurisdiction. Presently the International Court of Justice is the most important international tribunal. However it is not the only judicial tribunal to settle the disputes but it also includes the activities of many adhoc tribunals and mixed commissions and of specialised tribunals of a semi-permanent character.

Arbitration : It has been defined by the International Law as a procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as a result of an undertaking voluntarily accepted. When a dispute is submitted by the parties to a body of person or to a tribunal for their legal decision, the process is called Arbitration. Before a dispute is referred to the arbitration, the consent of parties is necessarily required to be obtained for doing so. The consent may be obtained either before or after a dispute has arisen between the parties.

Individuals constituting the arbitration commission or tribunal are called arbitrators. They are appointed by the disputant parties themselves. The composition of arbitral tribunal is based on principle that the arbitrators are chosen by the parties to the dispute, either by the agreement between them or by a procedure laid down in the arbitration agreement. The tribunal may consist of a single arbitrator or several arbitrators. The Charter of the United Nations under Article 33 (1) has recognised arbitration as a mode for the settlement of disputes.

International Court of justice :

International Court of justice and the arbitration are the judicial modes for the settlement of disputes. Arbitration is defined as the process of resolving disputes between states by means of an arbitral tribunal appointed by the parties. International Law Commission defined

Arbitration as the procedure for the settlement of disputes between states by a binding award on the basis of law and as the result of an undertaking voluntarily accepted. L.Oppenheim defines Arbitration as the determination of a difference between states through a legal decision of one or more umpires or a tribunal, other than the International Court of Justice, chosen by the parties. The Convention on the Settlement of Investment Disputes between states and Nationals of other states concluded in 1965 under auspices of the International Bank envisages the use of arbitration in disputes between states and individuals. The Third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III) evidence the fact that the states have in principle accepted arbitration not only for settling the disputes between the states, but also the disputes involving international organisations and individuals.

The International Court of Justice is a principal judicial organ of the United Nations and functions in accordance with its statute which forms an integral part of the Charter of the United Nations and is based on the statute of the Permanent Court of International Justice. Under Article 36 of the Statute, International Court of Justice may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorised by or in accordance with the charter of the United Nations to make such a request. Thus, International Court of justice has discretionary power to give advisory opinion on a legal question.

Both of them have some common features like consent of the parties is essential before a case is heard by the court or a tribunal. The judgement of the court and the award of the tribunal is binding to the parties. However the court differs from arbitration on many counts like the court is a permanent court and is governed by a statute the permanent court of arbitration is neither a court nor it is permanent. The arbitrator is appointed for the settlement of a particular dispute by the parties themselves. The judges of the court are elected by the General Assembly and the Security Council of the United Nations, Arbitrators are appointed by the disputant parties themselves. Court acts as a channel of communication with states and other bodies. Arbitration is temporary. The Court applies rules in deciding cases as provided under Article 38 of the statute. The Court is an integral part of the U.N Charter but Arbitration is established independently.

Conclusion :

Disputes give rise to tension between the disputing states and sometimes cause outbreak of violence. Thus the settlement of disputes occupies pivotal position in the study of international conflicts. Actually states have modified the traditional techniques of conflict resolution and have also evolved new techniques for resolving disputes.





राष्ट्रवाद की अवधारणा और स्वामी विवेकानन्द

प्रस्तुत शोधपत्र राष्ट्रवाद की अवधारणा और स्वामी विवेकानन्द के विचारों पर आधारित है। सच्चा राष्ट्रवाद वह है, जो केवल कट्टर राष्ट्र-भक्ति पर ही न अवलंबित हो, वरन् वह राष्ट्र के क्षुधित, पीड़ित, आर्तजनों के कल्याण तथा समाज में समानता की स्थापना की ओर उन्मुख हो। स्वामीजी का राष्ट्रवाद इसी सर्वजन हिताय की भावना से अनुप्राणित था। उनके विचारों में जनगण की वेदना के प्रति असीम सहानुभूति समायी थी। भारत के नवयुवकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि, "तुम कहो कि मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी-देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पलना है, यौवन का आनन्द उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की काशी है।" स्वामी विवेकानन्द युगपुरुष थे, जिन्होंने सच्चे अर्थों में भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक राष्ट्रवाद की प्रतिष्ठा की। अमेरिका प्रभृति पश्चिमी देशों ने विवेकानन्द के विचारों से प्रेरणा लेकर भारत की स्वाधीनता का समर्थन किया है। विवेकानन्द के विचारों से राष्ट्रवादियों ने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रेरणा लेकर स्वाधीनता आन्दोलन को नयी ऊर्जा प्रदान की है।

डॉ.ओमप्रकाश सिंह

भारत एक बहुत सुदीर्घ भू-भाग, विशाल जनसंख्या व महान संस्कृति वाला देश है। इसका एक गौरवमय इतिहास व संस्कृति भी है। कालचक्र में पड़कर इस महान राष्ट्र पर विदेशियों का शासन भी रहा, जिन्होंने इस देश की सभ्यता, संस्कृति व वैभव को क्षति पहुँचायी। हजारों वर्ष की पराधीनता के बावजूद भारत की गरिमामयी संस्कृति जीवित रही। इसी कारण हम अतीत के गौरव को न्यूनाधिक रूप में पुनः प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं। इस देश पर अनेक विदेशी जातियों ने राज्य किया। कई जातियों यहाँ आयीं और यहीं की होकर रह गयीं। इस सर्वगाह्यता के कारण यह राष्ट्र व इसकी राष्ट्रीयता अभी अक्षुण्ण है।

राष्ट्र अथवा राष्ट्रीयता की अवधारणा :

'राष्ट्र' अंग्रेजी के "Nation" का हिन्दी रूपान्तर है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन के "Natio" शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है 'जन्म' या 'प्रजाति'। मध्यकाल में नेशन या राष्ट्र शब्द का प्रयोग किसी राज्य की उस जनसंख्या के लिए किया जाता था, जिसमें प्रजातीय एकता पायी जाती थी। फ्रांस की राज्यक्रान्ति में 'नेशन' शब्द बहुत ही लोकप्रिय हो गया और उसका उपयोग देशभक्ति के अर्थ में किया गया। किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी से 'नेशन' और 'नेशनैलिटी' शब्दों के अर्थ निश्चित हो गए। नेशन या राष्ट्र शब्द इच्छित या प्राप्त राजनीतिक स्वाधीनता अथवा सम्प्रभुता के आदर्श की ओर इंगित करता है। इस प्रकार 'राष्ट्र' वह अवधारणा जिसके निवासी परस्पर समान हित के आधार पर विकसित 'हम' की भावना में आबद्ध होते हैं, जिनमें क्षेत्र, जाति, भाषा, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नता होते हुए भी यह 'हम' की भावना उन्हें

आपस में बाँधती है और वे राष्ट्रहित के आगे अपने वैयक्तिक हितों एवं सामूहिक हितों का त्याग कर देते हैं।

आजकल सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद एक मानसिक प्रवृत्ति है, जो सभी नागरिकों को हम की भावना में आबद्ध करती है, तथा उनके अन्दर मातृभूमि के प्रति लगाव या भक्ति की भावना को बलवती बनाती है। डॉ० आशीर्वादम ने राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के कुछ तत्त्व बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं— (1) भौगोलिक एकता, (2) प्रजाति की एकता या एकरूपता, (3) विचारों एवं आदर्शों की एकता एवं एक सामान्य संस्कृति, (4) भाषा की एकता, (5) धर्म की एकता, (6) सामान्य आर्थिक हित (7) सामान्य अधीनता, (8) सामान्य कष्ट (9) राजनीतिक सम्प्रभुता, (10) सार्वजनिक इच्छा। जहाँ तक इन तत्त्वों का प्रश्न है, अर्वाचीन राष्ट्रवाद के लिए इन सभी तत्त्वों का होना आवश्यक नहीं है, किन्तु अपनी मातृभूमि प्रेम या देशभक्ति, भूतकालिक विरासत के प्रति प्रेम व परस्पर हम की भावना या भ्रातृभाव इसके अपरिहार्य तत्व हैं।

स्वामी विवेकानन्द जी के राष्ट्रवाद विषयक विचारों का अनुशीलन :

स्वामी विवेकानन्द जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल के कलकत्ता के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था, विवेकानन्द नाम तो सन्यास ग्रहण करने के बाद शिकागो (अमेरिका) में धर्मसंसद में भाग लेने के लिए बम्बई से प्रस्थान करते समय ग्रहण किया।⁽²⁾

स्वामी जी के ऊपर उनकी माता जी का गहरा प्रभाव पड़ा।

एसोसिएट प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र विभाग), रामनगर पी.जी.कॉलेज, रामनगर, बाराबंकी (उत्तरप्रदेश)

बाल्यकाल से ही उनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली, मुखमण्डल असीम आभा से सम्पन्न व सुन्दर था। उनकी बुद्धि अत्यन्त प्रखर थी। स्वामी जी ने पाश्चात्य व भारतीय दोनों ज्ञान-विज्ञान का गम्भीर अध्ययन किया। सन् 1881 में उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई। बंगाल के इस महान संत का शिष्यत्व ग्रहण करके वे नरेन्द्र नाथ से स्वामी विवेकानन्द बन गए। सन् 1886 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के पश्चात् वे ही उनके प्रधान शिष्य बन गए। उन्होंने अपने समस्त जीवन को गुरु के उपदेशों के प्रचारार्थ लगा दिया। सन् 1893 में स्वामी विवेकानन्द जी शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद गए, वहाँ भारत देश व हिन्दू धर्म का पक्ष मजबूती से रखा। वहाँ पर उपस्थित विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने विवेकानन्द की प्रतिभा व हिन्दू धर्म का लोहा माना। 16 दिसम्बर 1896 को स्वामी जी धार्मिक विश्वविजय करके भारत आए और यहाँ की सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु प्रयास प्रारम्भ किये। 1897 ई० में स्वामी जी ने कलकत्ता के निकट बैलूर में प्रसिद्ध 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की। 04 जुलाई सन् 1902 में स्वामी जी का 39 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका व्यक्तित्व व कृतित्व एक ऐसी कहानी बन गया, जिस पर भारत वासी सृष्टि पर्यन्त गर्व करेंगे।

स्वामी जी एक दार्शनिक, विचारक, राजनीतिक चिन्तक, शिक्षाविद्, धर्मज्ञ विद्वान, अर्वाचीन एवं प्राचीन ज्ञान से सुसम्पन्न महात्मा थे। यहाँ हमारा विवेच्य विषय स्वामी जी के राजनीतिक विचारों में से राष्ट्रवाद विषयक विचारों से है।

स्वामी जी का मुख्य उद्देश्य अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को अखिल विश्व से प्रचारित प्रसारित करना था। अस्तु, इन्होंने राष्ट्रवाद सहित राजनीतिक दर्शन के आधारभूत संप्रत्ययों का गहन व विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया, उनका राजनीति में कोई विश्वास नहीं था। किन्तु राष्ट्र की ज्वलन्त समस्याओं पर विचार करते समय अनायास उनके चिन्तन में राजनैतिक विचारों का समावेश हो जाता था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, 'मैं न राजनीतिक चिन्तक, हूँ न राजनीतिक आन्दोलनकारी। मैं केवल आत्म तत्त्व की चिन्ता करता हूँ—जब वह ठीक रहेगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा।'⁽⁵⁾

स्वामी जी के ऊपर बंगाल के राष्ट्रवादी आन्दोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। वैसे तो उन्होंने मूलतः आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया फिर भी उनके राष्ट्रवादी विचार बहुत लोकप्रिय हुए। बंगाल के राष्ट्रवादियों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। स्वामी जी का प्रादुर्भाव जिस समय हुआ उस समय भारत पराधीनता की जंजीर में बँधा था। अतः वे अन्य बंगाली क्रान्तिकारी राष्ट्रवादियों की भाँति उग्र व मुखर रूप से राष्ट्रवादी चेतना का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। अन्यथा जो आध्यात्मिक दिग्विजय का बीड़ा उन्होंने उठाया था, उसमें बाधा उत्पन्न होती। अतएव उन्होंने धर्माधारित राष्ट्रवाद का समर्थन किया। स्वयं उन्हीं के शब्दों में—'जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है वैसे हर राष्ट्र के जीवन में एक तत्त्व हुआ करता है, अन्य सब तत्त्व उसी में केन्द्रित होते हैं। भारत का तत्त्व है—'धर्म'।'⁽⁴⁾ इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द जी ने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धान्त की नींव का निर्माण करने का काम किया जिसे कालान्तर में अरविन्द प्रभृति राष्ट्रवादियों ने

पोषित करने का काम किया। विवेकानन्द का धर्माधारित राष्ट्रवाद प्राचीन गरिमामयी भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्वों पर अवलम्बित था। अस्तु, स्वामी जी के राष्ट्रवादी चिन्तन को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संज्ञा से भी अभिहित किया गया। विवेकानन्द जी का विश्वास था कि यही धर्म आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद का मेरुदण्ड बनेगा। उनका मानना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसकी अतीत की नींव पर होगा। भारत का भी अपना गौरवमय अतीत रहा है, अतः अतीत की उपेक्षा करना राष्ट्रीय जीवन का निषेध करने के समान है।

विवेकानन्द जी का अभिमत था कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के द्वारा हुई है। जब-जब भारत में किसी प्रकार का विप्लव व संकट आया है, उस समय धर्म ने ही उस संकट के समाधान में तथा व्यवस्था के पुनर्स्थापना में सहायता की है। धर्म या संस्कृति राष्ट्रीय जीवन का आधार रहा है। इस लिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही होने चाहिए। अतः राष्ट्रवाद विषयक धार्मिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धान्त स्वामी विवेकानन्द जी की महत्वपूर्ण देन है। विवेकानन्द जी भारत माता को जीवन्त मूर्ति किंवा विग्रह मानते थे। उनका विश्वास था कि भारत माता बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रान्तिकारियों की प्रेरणा की शक्ति बन गयी है। स्वामी जी सम्पूर्ण पश्चिम की आध्यात्मिक विजय करना चाहते थे। वे कहा करते थे कि भारत को एक बार पुनः विश्व की विजय करनी है। उसे पश्चिम की आध्यात्मिक विजय करनी है।

स्वामी विवेकानन्द जी ने राष्ट्रवादी आंदोलनों का खुलकर समर्थन नहीं किया, किन्तु इसका आशय यह कदापि नहीं था, वे स्वाधीनता नहीं चाहते थे। इसका कारण यह था कि यदि वे क्रान्तिकारी आन्दोलनों का खुलकर समर्थन करते तो उन्हें ब्रिटिश सरकार जेल में डाल देती। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इन राष्ट्रवादी क्रान्तिकारियों का समर्थन भी किया। उन्होंने देशवासियों से कहा—'बंकिमचन्द्र को पढ़ो और उनसे सनातन धर्म व देशभक्ति ग्रहण करो।'⁽⁶⁾ स्वामी जी ने राष्ट्रसेवा के लिए भारतीय नवयुवकों को त्याग एवं बलिदान हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा था—'मैं अच्छी तरह जानता हूँ भारत माता अपनी उन्नति के लिए अपनी श्रेष्ठ संतानों की बलि चाहती है। संसार के वीरों को और सर्वश्रेष्ठों को 'बहुजन सुखाय' अपना बलिदान करना होगा। असीम दया और प्रेम से परिपूर्ण सैकड़ों बुद्धों की आवश्यकता होगी।'⁽⁶⁾

सच्चा राष्ट्रवाद वह है, जो केवल कट्टर राष्ट्र-भक्ति पर ही न अवलंबित हो, वरन् वह राष्ट्र के क्षुधित, पीड़ित आर्त्तजनों के कल्याण तथा समाज में समानता की स्थापना की ओर उन्मुख हो। स्वामी जी का राष्ट्रवाद इसी सर्वजन हिताय की भावना से अनुप्राणित था। उनके विचारों में जनगण की वेदना के प्रति असीम सहानुभूति समायी थी। 'भारत के नवयुवकों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'तुम कहो कि मैं भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, भारतीय मेरा जीवन है, भारत के देवी-देवता मेरे ईश्वर हैं, भारतीय समाज मेरा बाल्यकाल का पालना है, यौवन का आनन्द उद्यान है, पवित्र स्वर्ग और मेरी वृद्धावस्था की काशी है।'⁽⁷⁾ इस प्रकार विवेकानन्द के राष्ट्रवाद सम्बन्धी उक्त विचारों का अनुशीलन करने के पश्चात् विवेकानन्द द्वारा निरूपित राष्ट्रवाद

की कतिपय विशिष्टताएँ उभर कर सामने आती हैं, जो अधोलिखित हैं :

(1) विवेकानन्द का राष्ट्रवाद सनातन धर्म व संस्कृति पर अवलम्बित है, अतएव उनके इस राष्ट्रवाद को धार्मिक या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गयी।

(2) विवेकानन्द के राष्ट्रवादी विचार युवकों को सम्बोधित हैं, उनका अभिमत था कि राष्ट्रवाद की प्रतिष्ठा व राष्ट्र की सेवा नवयुवक ही कर सकते हैं।

(3) विवेकानन्द का राष्ट्रवाद अन्ध राष्ट्र-भक्ति पर प्रतिष्ठित नहीं है, वरन् उनके राष्ट्रवाद में अखिल मानवता व बहुजन समाज के लिए असीम वेदना, सहानुभूति, भ्रातृत्व व समानता को अक्षुण्ण रखने वाली भावना समाहित है।

(4) विवेकानन्द के विचारों के दलित, शोषित, नारी, निर्धन आदि उपेक्षित वर्गों के प्रति सहानुभूति व उनके उन्नति व उद्धार की कामना है।

(5) विवेकानन्द ने खुलकर क्रान्तिकारियों का समर्थन नहीं किया, किन्तु वे आन्दोलनकारियों के प्रति सहानुभूति रखते थे। अप्रत्यक्ष रूप से विवेकानन्द जी ने स्वाधीनता के अभियान को समर्थन दिया। कालान्तर में बंगाल सहित अन्य राष्ट्रवादी जनता द्वारा उनके विचारों से प्रेरणा ग्रहण की गयी।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवेकानन्द युगपुरुष थे, जिन्होंने सच्चे अर्थों में भारत में सांस्कृतिक अथवा धार्मिक राष्ट्रवाद की प्रतिष्ठा की। अमेरिका प्रभृति पश्चिमी देशों ने विवेकानन्द के विचारों से प्रेरणा लेकर भारत की स्वाधीनता का समर्थन किया। विवेकानन्द के विचारों से राष्ट्रवादियों ने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रेरणा लेकर स्वधीनता आन्दोलन को नयी ऊर्जा प्रदान की।

संदर्भ :

(1) आशीर्वादम्, ए.डी. : राजनीति विज्ञान, एस. चन्द कम्पनी, लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 702.

(2) गर्ग, सुषमा : भारतीय राजनीतिक चिन्तन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 168.

(3) गर्ग, सुषमा : भारतीय राजनीतिक चिन्तन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 177.

(4) गर्ग, सुषमा : भारतीय राजनीतिक चिन्तन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 168.

(5) गौतम, देवकी नंदन : ज्ञान कर्मयोगी स्वामी विवेकानन्द, प्रभात पेपर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 178.

(6) गौतम, देवकी नंदन : ज्ञान कर्मयोगी स्वामी विवेकानन्द, प्रभात पेपर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 154.

(7) गर्ग, सुषमा : भारतीय राजनीतिक चिन्तन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ 178.



UGC - APPROVED - JOURNAL

www.ugc.ac.in/journals/subjectwise/journalist.aspx?tid=UmVzZWYyZjg7TGUaw=&id=Q3VycmVudCBLbXRsZXM=

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

UGC Approved List of Journals

You searched for **Research Link**

Total Journals : 1

Show 25 entries

View	Sl.No.	Journal No.	Title	Publisher	ISSN	E-ISSN
View	1	4896	Research Link	Research Link	09731628	

Showing 1 to 1 of 1 entries

For Students: About NET, UGC NET Online, Ragging Related Circulars, Fake Universities, Educational Loan

For Faculty: Honours and Awards, UGC Regulations, Pay Related Orders, M R P

More: Notices, Circulars, Tenders, Jobs, UGC Policy, Right to Information Act, Other Higher Education Links

UGC Journal Details

Name of the Journal : Research Link

ISSN Number : 09731628

e-ISSN Number :

Source: UNIV

Subject: Accounting, Anthropology, Business and International Management, Economics, Econometrics and Finance(all), Education, Environmental Science(all), Finance, Geography, Planning and Development, Law, Political Science a, Social Sciences(all)

Publisher: Research Link

Country of Publication: India

Broad Subject Category: Arts & Humanities, Multidisciplinary, Social Science

Print

‘रिसर्च लिंक’ की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे ट्रांसफर या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है-

बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

ब्रांच : ओल्ड पलासिया, इन्दौर,

कोड - SBIN 000 3432

खाते का नाम : रिसर्च लिंक,

खाता नंबर - 63025612815

भुगतान की मूल रसीद, शोध-पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।



पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी

प्रस्तुत शोधपत्र में पंचायती राज व्यवस्था में महिला भागीदारी का अध्ययन किया गया है। पंचायती राज में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह राजनैतिक व्यवस्था में महिलाओं की सक्रियता बढ़ाने की दिशा में यह सकारात्मक कदम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सिर्फ बढ़ती संख्या से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। आवश्यकता यह है कि इनके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कारगर उठाए जाएं, उनकी उच्च आकांक्षाओं व व्यवस्था में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाए। इन महिला प्रतिनिधियों को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध कराये जायें। अब तक कई महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी सक्रियता व ठोस कार्यों से यह सिद्ध कर चुकी है कि वे कुशल नेतृत्व के संचालन में पुरुषों से कहीं आगे हैं।

डॉ. समीक्षा चन्द्राकर

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सजीव एवं साकार स्वरूप पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात् हि दृष्टिगोचर हुआ, लेकिन इसकी परिकल्पना को स्वतंत्र भारत की उपज कहना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का अस्तित्व प्राचीन काल से रहा है। इसका इतिहास वैदिक काल से पूर्व का है। पंचायती राज परम्परा की जड़े इतनी गहरी रही कि यह हमारे समाज की एक सुदृढ़ व्यवस्था में परिवर्तित हो गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष के साथ ही सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रिया में महिला सहभागिता के महत्व को समझा गया। उन्हें उचित स्थान व सम्मान दिया गया। महिलाओं के राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए संविधान द्वारा कुछ प्रावधान बनाए गए। 1922 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसमें हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें ग्राम्य विकास में सहभागी बनाने का प्रयास किया गया।

महिलाएँ देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी निश्चित रूप से कम है। किसी भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में समाज का आधे भाग की नगण्य भूमिका ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक होने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वर्ष 1959 में बलवंत राय मेहता ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कोई भी देश विकास की प्रक्रिया में महिला को सहभागी बनाये बिना कोई वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता है। वर्ष 1978 में अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट में भी व्यापक स्तर पर महिलाओं को पंचायतों में शामिल करने की सिफारिश की। 1974 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर आयोग ने महिला पंचायतों के गठन का सुझाव दिया।

पंचायती राज की संरचना

क्र०	स्तर	संरचना	मुख्य अधिकारी	निर्वाचन
1	ग्राम स्तर	ग्राम पंचायत	प्रधान/मुखिया / सरपंच	प्रत्यक्ष
2	खण्ड ब्लॉक स्तर	क्षेत्र पंचायत	प्रमुख	अप्रत्यक्ष
3	जिला स्तर	जिला पंचायत	अध्यक्ष/ चेयरमैन	अप्रत्यक्ष

आज पूरे देशभर लगभग 5 लाख 80 हजार गाँव हैं। पंचायत में चुनी हुई महिलाएँ समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तीनों स्तरों की पंचायतों में एक तिहाई प्रमुख पदों पर महिलाओं का वर्चस्व है। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्थानीय निकायों में महिलाओं को इतना अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया है। स्थानीय राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के दूरगामी सामाजिक व राजनैतिक परिणाम होते हैं, क्योंकि पंचायत स्तर पर लोकतंत्र, आरंभिक पाठशाला है और यही राजनीतिक भागीदारी महिलाओं में सामाजिक, आर्थिक, आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाएगी। ये महिला प्रतिभागी अपने कार्यकाल की समाप्ति तक शराबबंदी, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अकाल, राहत कार्य, न्यूनतम पारिश्रमिक, पर्यावरण की रक्षा, जनसंख्या की रोकथाम, बच्चों को पौष्टिक व संतुलित आहार देने आदि से संबंधित प्रश्न उठाया करती हैं। उनके नेतृत्व व बोलचाल की कुशलता में भी आशातीत वृद्धि देखने को मिलती है। अनेक विरोधों के बावजूद पंचायती व्यवस्था में देश भर में जहाँ-जहाँ महिला सरपंच चुनी गईं, वहाँ-वहाँ पूरे उत्साह व जोश के साथ महिला विकास कार्यों में जुट गईं।

समस्या :

महिला सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक शक्तियाँ महिलाओं

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग), शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम (छत्तीसगढ़)

को सबल बनाने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त है। बावजूद इसके राजनीतिक क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों को अपने कार्य क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पंचायती राज व्यवस्था में भी कमोवेश ऐसी ही समस्याओं का सामना महिला प्रतिनिधियों को करना पड़ रहा है।

(1) हमारी सामाजिक संरचना की आम धारणा यही है कि महिला परिवार की देखभाल करे। घर का कार्य करें, जिसके चलते ये महिला प्रतिनिधि पंचायत की बैठकों में भाग नहीं ले पाती।

(2) वर्तमान समय का राजनीतिक माहौल जिसमें अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, काला धन, नौकरशाही, चरित्र लांछन जैसे बुराई के चलते वे महिलाएँ सार्वजनिक रूप से राजनीतिक सहभागिता से अपने आपको विलग रखती हैं।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएँ निरक्षर होती हैं, जिसके चलते वे पंचायत लेखापत्र, नियम को पढ़ने व समझने, लिखने में अपने आप को असमर्थ पाती हैं।

(4) आज भी ग्रामीण स्तर पर जातिवाद विद्यमान है, जिसके चलते देखा गया है कि जिन गाँवों में महिला सरपंच अनुसूचित जाति की हैं, तो अन्य महिला प्रतिनिधि पंचायत की बैठकों में भाग लेने में रुचि नहीं लेती, कारण नीची जाति की महिला के साथ बैठने में अपने को अपमानित महसूस करती हैं।

(5) यह भी देखा गया कि परिवार वाले महिला उम्मीदवार को चुनाव जीताने में तो मदद करते हैं, बाद में उसके कार्यों में सहयोग नहीं देते।

(6) पंचायत की बैठकों के दौरान भी महिलाएँ भेदभाव का शिकार बनती हैं। उन्हें पुरुषों से अलग या नीचे फर्श पर बैठाया जाता है, जबकि पुरुष कुर्सी पर बैठते हैं।

(7) पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में निर्णय का अधिकार पुरुषों के पास है, यदि बंधनों से परे होकर महिलाएँ आगे आती भी हैं, तो समाज इसे स्वीकार नहीं करता। यह भी पुरुष ही निर्धारित करते हैं कि परिवार की महिला किसको वोट देगी।

(8) अक्सर यह देखा गया है कि महिला यदि साहस बटोरकर चुनाव लड़ती भी है, तो न तो वो अपने लिए वोट मांगती है, न ही राजनैतिक मंचों पर नेतृत्व के लिए सामने आती है, क्योंकि यह सार्वजनिक कार्य का जिम्मा समाज ने पुरुषों को सौंप रखा है।

(9) सरपंच पति की अवधारणा भी महिला प्रतिनिधि के निर्णय क्षमता में कमी लाता है। फलस्वरूप निर्वाचित महिला प्रतिनिधि एक हस्ताक्षर मशीन (रबड़ की मोहर मात्र) बनकर रह जाती हैं।

(10) पंचायती व्यवस्था को जमीनी स्तर पर कमजोर बनाने के लिए राजनैतिक पार्टियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। अक्सर यह देखा गया है कि सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधियों की बढ़ती लोकप्रियता को अपने लिए खतरा मानकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं।

सुझाव :

(1) महिलाओं के प्रति पुरुषों एवं स्वयं महिलाओं के दृष्टिकोण में बदलाव लाना जरूरी है। इस सोच को भी कि महिलाओं का काम सिर्फ घर की देखभाल करना व संतान पैदा करना मात्र नहीं है।

(2) महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता के स्तर को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

(3) पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया जाए, जिससे उनका आत्मबल बढ़े व नेतृत्व क्षमता का विकास हो, जिससे बेहतर राजनैतिक वातावरण का निर्माण हो सके।

(4) पंचायतों की बैठकों में महिला सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे महिलाएँ बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए।

(5) महिलाओं को स्व-स्फूर्त संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे ग्रामीण विकास के कार्यों के लिए नीति निर्माण व क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

(6) महिला प्रतिनिधि को पंचायत प्रतिनिधि बनने से पहले व बाद में सतत प्रशिक्षण की व्यवस्था शासन के द्वारा प्रदाय किया जाये। उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुने गए प्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संपर्क बना रहना चाहिए।

(7) सरकार भी पंचायती व्यवस्था से जुड़े कानून व प्रक्रियाओं में बारबार बदलाव न करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिला प्रतिनिधि अशिक्षित होती हैं, वो कानून की क्लिष्ट शब्दावली को समझ नहीं पाती हैं।

(8) समानता पर आधारित सामाजिक संरचना का गठन किया जाए, जिससे पारस्परिक, ईर्ष्या, द्वेष, अहंभावना से ऊपर उठकर परस्पर सहयोग, परिश्रम एवं संगठन शक्ति का उपयोग गाँव के विकास के लिए करें।

(9) सचेत नागरिक की भूमिका का निर्वहन करते हुए स्वस्थ राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण व संचालन करें, जिससे महिला प्रतिनिधि अपने आपको सुरक्षित महसूस करें। ऊर्जा व उत्साह के साथ सफल नेतृत्व का निर्वहन करते हुए ग्रामीण विकास में भागीदारी बने।

(10) सामाजिक दृष्टिकोण में भी बदलाव की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं को भी पुरुषों के समान मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा देनी होगी। महिलाओं की आंतरिक क्षमता एवं शक्ति पर भरोसा करना होगा, जिससे राजनीति में महिलाओं का सकरात्मक सहयोग प्राप्त हो सके।

छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायतों की संख्या

स्तर	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ग्राम पंचायत	9734	9733	10968	10971
जनपद पंचायत	146	146	146	146
जिला पंचायत	27	27	27	27

निष्कर्ष :

पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के इतने वर्षों के उपरांत भी ग्रामीण व्यवस्था में राजनैतिक क्षेत्रों में कुछ वर्षों पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही, साथ ही पंचायती व्यवस्था में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है। पंचायती राज में आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएँ निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास हेतु नीति निर्माण व उसके क्रियान्वयन में

महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। दिल्ली के सामाजिक विज्ञान संस्थान में पंचायत राज संस्थाओं संबंधी सांख्यिकी केन्द्र द्वारा किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि पूरे देश में 60,16,234 महिला पंचायत प्रतिनिधि है, जिनमें 26.24 प्रतिशत छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश राज्यों से है? जो महिला पंचायत प्रतिनिधियों की सर्वाधिक संख्या है। यद्यपि महिलाओं के लिए यह क्षेत्र नया है तथा सामन्ती विचारधारा से जकड़े पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पुरुषों के कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद उसका मुकाबला करते हुए महिलाओं ने निरक्षर होने के बाद भी अपने आपको ज्यादा संवेदनशील और बेहतर प्रशासक अल्प समय में ही सिद्ध कर दिया है। अब विवश होकर राजनैतिक दलों को भी अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक पद देना पड़ रहा है।

- (3) ठाकुर, सावित्री : पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका, अहिल्या पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर।
- (4) धावन, हरिमोहन : महिला आरक्षण का सच, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, नई दिल्ली।
- (5) मेहता, अभिषेक : पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाएँ और बढ़ती चुनौतियाँ, देशबन्धु, दिनांक जनवरी 23, 2014.
- (6) शर्मा, राकेश निशीथ : पंचायती राज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका।
- (7) तंवर, अशोक : पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति।



Number of elected Women representatives in panchayat of C.G

Particulars	Gram panchayat	Block panchayat	District panchayat
Number of panchayats at each level	9734	146	18
Number of elected representatives at each level of panchayat	155672	2783	321
Number of elected women representatives at each level of panchayat	84779	1569	190
% Representation for women	50%	50%	50%
Number of SC representatives at each level of panchayat	19381	332	
%Representation for SC	11%	11%	11%
Number of ST representatives at each level of panchayat	62577	1153	134
% Representation for ST	32%	32%	32%

अनुशंसा :

यह हर्ष की बात है कि पंचायती राज में महिला आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। यह राजनैतिक व्यवस्था में महिलाओं की सक्रियता बढ़ाने की दिशा में यह सकारात्मक कदम है, लेकिन वास्तविकता यह है कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सिर्फ बढ़ती संख्या से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। आवश्यकता यह है कि इनके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं, उनकी उच्च आकांक्षाओं व व्यवस्था में उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाए। इन महिला प्रतिनिधियों को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध कराए जाये। अब तक की कई महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी सक्रियता व ठोस कार्यों से यह सिद्ध कर चुकी है कि वे कुशल नेतृत्व के संचालन में पुरुषों से कहीं आगे हैं।

सन्दर्भ :

- (1) शर्मा, के.के. : भारत में पंचायती राज, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, नई दिल्ली।
- (2) बंसल, वंदना (2004) : पंचायती राज में महिला भागीदारी कलपाज पब्लिकेशंस, दिल्ली।

UGC -

APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details

Name of the Journal : Research Link

ISSN Number : 09731628

e-ISSN Number :

Source : UNIV

Subject: Accounting, Anthropology, Business and International Management, Economics, Econometrics and Finance(all), Education, Environmental Science(all), Finance, Geography, Planning and Development, Law, Political Science & Social Sciences(all)

Publisher: Research Link

Country of Publication: India

Broad Subject Category: Arts & Humanities, Multidisciplinary, Social Science



उत्तरप्रदेश में संविद सरकारें (1967-1971)

प्रस्तुत शोधपत्र में सन् 1967 से 1971 के मध्य उत्तरप्रदेश में संविद सरकारों की कार्यशैली, गठबंधन आदि का अध्ययन किया गया है। मिली-जुली सरकारें एक-दूसरे के सम्मान और पारस्परिक सहयोग पर आधारित होती हैं। सहज शक्ति इसका मूल आधार है। आमतौर पर धर्म निरपेक्षता का बैनर खड़ा कर ऐसा बखेड़ा पैदा किया जाता है, जिससे भावनाएँ भभकती हैं। यदि धर्म और समुदाय विशेष की रागात्मकता का परित्याग किया जाये और कट्टर पंथ से अलग रहकर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाए तो संयुक्त सरकारों का भविष्य सुस्थित हो सकता है। आम जनता के हित में अपने दलीय एवं निजी हित का परित्याग किया जाये तो संविद सरकारें भी जनता के हित में काम कर सकती हैं और उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, जिसका स्वप्न मानव समाज सदियों से संजोये हुए है।

डॉ. उमेशचन्द्र पाण्डेय

विश्व के राजनीतिज्ञों ने कहा है कि विश्व में सर्वप्रथम राजतंत्र का जन्म हुआ। उसके बाद धीरे-धीरे विकसित रूप में कुलीन तंत्र, तत्पश्चात्पूर्ण विकसित रूप में लोकतंत्र ने जन्म लिया। परन्तु भारतीय साहित्य और राजनीति में इसके विपरीत ढेरों प्रमाण भी मिलते हैं। भारतीयों विचारकों के अनुसार सर्वप्रथम लोकतंत्र फिर राजतंत्र उसका घृणित रूप था। वर्तमान समय में भारत की लोकतंत्रीय रूप की चर्चा करने पर पता चलता है कि भारत वर्तमान समय में लोकतंत्र धारण करने वाला विश्व का प्रथम देश है। आधुनिक युग में लोकतंत्र शब्द इतना व्यापक हो गया है कि विश्व का कोई भी देश इसकी उपेक्षा करके अपना अस्तित्व नहीं बनाये रख सकता है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली प्राचीन कालीन व्यवस्था है। अद्यतन लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में समय-समय पर अनेक बार परिवर्तन देखने को मिलते रहे हैं।

भारत में राजनीतिक विचारधारा देश काल से प्रभावित होकर पाश्चात्य विचारधारा से अलग रही है। इसी का परिणाम है कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों में राजनीतिक चिंतकों ने स्वच्छ एवं स्वतंत्रतापूर्ण ढंग से प्रजातंत्र का अध्ययन किया है।⁽¹⁾ आज आजादी के लगभग 71 वर्ष पूरे होने के बाद "भारत का लोकतंत्र" क्या सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की परिभाषा को सत्य साबित करने में सफल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में पाया जाता है। यूँ तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि अनेक देशों में लोकतंत्र है। लेकिन भारत की प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था द्वारा संसद के निम्न सदन के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होना तथा बहुमत प्राप्त दल द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्त होना, संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रमुख दल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारतीय राजनीति पूर्णरूप से कांग्रेस पार्टी के इर्द-गिर्द मंडराती रही। स्वतंत्रता आन्दोलन में कांग्रेस का योगदान और पं० जवाहरलाल नेहरू की भूमिका ही इसका प्रमुख कारण था। सर्वप्रथम भारत में पं० जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से 1947 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1952 के प्रथम आम चुनाव में सभी राज्यों सहित केन्द्र का चुनाव लोकतंत्रीय प्रणाली के आधार पर सम्पन्न हुआ। जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पं० नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था के अर्न्तगत चुने गए।⁽²⁾ कुछ सालों बाद पं० नेहरू की मृत्यु हो गयी। तब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आभा मंडल में पराभव होना शुरू हुआ। 1961 आते-आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त होने लगा। देश के विभिन्न राज्यों में धीरे-धीरे दूसरे दलों की सरकारें बनना प्रारम्भ हुईं।

भारत वर्ष राजनीति दृष्टि से विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के 1967 का वर्ष एक मील का पत्थर था। चतुर्थ आम चुनाव के बाद जिन नौ राज्यों में कांग्रेस पार्टी के एक छत्र राज का सफाया हुआ, उत्तर प्रदेश उनमें से एक था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम संविद सरकार का गठन उसकी आन्तरिक कलह का ही परिणाम था। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस दल के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व 1946 में ही बन चुके थे। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत ने उन्हें संसदीय सचिव नियुक्त किया था। तब से लेकर 1967 तक वह विभिन्न मंत्रीमंडलों में निरन्तर महत्वपूर्ण पदों पर बने रहे। कांग्रेस दल की गुटीय राजनीति में वे सदैव चन्द्रभान गुप्ता के विरोधी रहे परन्तु फिर भी जब गुप्ता एवं सम्पूर्णानन्द के बीच सीधे टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई तब उन्होंने सी० बी० गुप्ता का साथ दिया। सम्भवतः

सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र विभाग), पूर्वांचल पी.जी.कॉलेज, रानी की सराय, आजमगढ़ (उत्तरप्रदेश)

यह साथ उन्होंने यह सोचकर दिया होगा कि यदि वह सम्पूर्णानन्द को हटाने की मुहिम में सफल होते हैं, तब चौधरी चरण सिंह स्वयं मुख्यमंत्री पद के अपरिहार्य विकल्प होंगे क्योंकि उस समय गुप्ता जी राज्य विधान सभा के सदस्य नहीं थे। परन्तु चौधरी चरण सिंह के हाथ निराशा लगी। 1963 में कामराज योजना के अन्तर्गत कई राज्यों समेत उ०प्र० में मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ तब श्रीमती सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बनवाने में सी०बी० गुप्ता सफल हो गए।^(६)

चौधरी चरण सिंह के भीतर आक्रोश बढ़ता गया। जब 1967 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और उसके बाद भी कांग्रेस किसी तरह से सरकार बनाने की स्थिति में आ गयी, तो उन्होंने विधायक दल के नेता पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की, किन्तु केन्द्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप के कारण उन्हें चुनाव से विरत रहना पड़ा और 7 मार्च, 1967 को चन्द्रभान गुप्ता सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल के नेता चुन लिए गए। 14 मार्च 1967 को उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गयी। चौधरी चरण सिंह इस घटना से मर्माहत तो थे, ही उन्होंने अपने आपको और भी अपमानित तब अनुभव किया, जबकि गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल में उनके तीन विश्वस्त सहयोगियों जयराम वर्मा, उदित नारायण शर्मा एवं जगत प्रसाद रावत को सम्मिलित नहीं किया। वे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उचित अवसर की तलाश में थे।

चौधरी चरण सिंह विधान सभा अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को 38 वोटों से जीतने का अवसर प्रदान करके गुप्ता को इस बात के प्रति आश्चर्य कर दिया की उनकी सरकार के लिए कोई खतरा नहीं है। परन्तु 1 अप्रैल 1967 को एकाएक और अत्यन्त नाटकीय ढंग से चरण सिंह अपने 16 सदस्यों सहित कांग्रेस का साथ छोड़कर विपक्ष में आ बैठे। जिसके कारण राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव गिर गया। इसी के साथ उन्होंने अपने नये दल "जन कांग्रेस" के गठन की घोषणा कर दी। विपक्ष जो संविद सरकार बनाने के लिए प्रयासरत था, उसने तुरन्त मौका देखकर चौधरी चरण सिंह को रामचन्द्र विकल के स्थान पर अपना नेता चुना लिया।

उ०प्र० के राजनीतिक वातावरण में चौधरी चरण सिंह की लोकप्रियता गगन चुंबी ऊँचाइयों को छू रही थी और वे जन आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में राज्यभर में देखे जा रहे थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 6 अप्रैल 1967 को पहली संविद सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। इस प्रकार मात्र 16 सदस्यों के बल पर वह राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। परन्तु तमाम अन्तर्विरोधों से ग्रसित सरकार चल नहीं सकी और 25 फरवरी 1968 को चौधरी चरण सिंह को त्यागपत्र देना पड़ा। तदुपरान्त राज्य में मध्यावधि चुनाव हुए और 1969 के फरवरी माह में सी०बी० गुप्ता पुनः मुख्यमंत्री हुए और वो फरवरी 1970 तक मुख्यमंत्री बने रहे। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के उपरान्त चौधरी चरण सिंह, बी०के०डी०, कांग्रेस (आर) के साझा मंत्रीमण्डल के मुख्यमंत्री बने। परन्तु अक्टूबर 1970 में सत्ता के ये दोनों साझेदार अलग हो गए और अल्पकाल के राष्ट्रपति भासन के उपरान्त एक और गैर कांग्रेसी संविद सरकार टी०एन० सिंह के नेतृत्व में बनी जो 1971 तक चली।^(६)

इस सरकार का कार्यकाल अत्यन्त छोटा साबित हुआ और कांग्रेस पुनः मजबूती के साथ सत्ता पर काबिज हो गयी। 1967 से 1971 के मध्य तीन संविद सरकारों का गठन एवं पतन हुआ जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि संविद सरकारों के प्रयोग से राज्य की जनता संतुष्ट नहीं थी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ भी लगभग वैसी ही हैं। वर्तमान में केन्द्र और उ०प्र० दोनों ही जगहों पर पूर्ण बहुमत की सरकारें सत्ता में हैं और भविष्य में भी दोनों जगहों पर पूर्ण बहुमत की ही सरकारें सत्ता में आने की सम्भावनाएँ हैं। ऐसे में 1967 से 1971 के मध्य गठित संविद सरकारों के गठन, उनके समक्ष चुनौतियों का अध्ययन, उनकी उपलब्धियों एवं विफलताओं का लेखा-जोखा अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हैं।^(६)

प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वातंत्र्य का बड़ा महत्व होता है। यह स्वातंत्र्य तभी तक उपयोगी रहता है, जब तक अन्य व्यक्ति के स्वातंत्र्य में बाधा न पहुँचे। मिली जुली सरकारें एक-दूसरे के सम्मान और पारस्परिक सहयोग पर आधारित होती हैं। सहन भावित इसका मूलाधार है। आमतौर से धर्म निरपेक्षता का बैनर खड़ा कर ऐसा बखेड़ा पैदा किया जाता है, जिससे भावनाएँ भभकती हैं। यदि धर्म और समुदाय विशेष की रागात्मकता का परित्याग किया जाए और कट्टर पंथ से अलग रहकर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया जाए तो संयुक्त सरकारों का भविष्य सुस्थिर हो सकता है।^(६) वामपंथी दल यदि आपस में सहयोग से प्रजातांत्रिक ढंग की सरकार चला सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी दल सरकार चलाने में असफल रहेंगे। आवश्यकता है स्वार्थों के परित्याग का और एक-दूसरे की भावनाओं के समादर का। आम जनता के हित में अपने दलीय एवं निजी हित का परित्याग किया जाए तो संविद सरकारें भी जनता के हित में काम कर सकती हैं और उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है जिसका स्वप्न मानव समाज सदियों से संजोए हुए है।^(७)

सन्दर्भ :

- (1) मनुस्मृति, गीता प्रेस, गोरखपुर।
- (2) चतुर्वेदी मुरलीधर : भारत का संविधान, इलाहाबाद लॉ एजेंसी पब्लिकेशन्स।
- (3) पाण्डेय, यू० सी० : उ०प्र० की संविद सरकारों का एक अध्ययन (1967-1971) तक।
- (4) सिंह, रामचन्द्र : भारत में संयुक्त सरकारें : खिंचाव-तनाव (उ० प्र० का अनुभव 1967-70) तक।
- (5) पाण्डेय यू० सी० : उ०प्र० की संविद सरकारों का एक अध्ययन (1967-1971) तक।
- (6) सईद, एस०एम० : भारतीय शासन और राजनीति।
- (7) सिंह, रामचन्द्र : भारत में संयुक्त सरकारें : खिंचाव-तनाव (उ० प्र० का अनुभव 1967-70) तक।





नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयास

प्रस्तुत शोधपत्र में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का विवरण-विश्लेषण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा आजादी के बाद पिछले तीन वर्षों में महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ, कार्यक्रम, कानूनी व सामाजिक प्रावधान लागू कर देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए हैं, जो बहुत ही सराहनीय हैं। इन सभी प्रयासों का ही परिणाम आज सामने आ रहा है, जिसमें महिलाएँ पहले से ज्यादा सुरक्षित, सशक्त, मजबूत इरादे व विश्वास के साथ सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। मोदी सरकार के प्रयासों से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में तीव्र गति से प्रगति हो रही है, जो महिलाओं के लिए सुखद है।

गणेशाराम* एवं डॉ.धर्मपाल सिंह**

प्रस्तावना :

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में तीन साल पूरे किये हैं। इस छोटे से कार्यकाल में देश के विकास को वो गति दी है, जिसके लिए देश अब तक तरसता ही रह गया था। देश के चहुँमुखी विकास और देश के नागरिकों के हर संभव कल्याण के लिए मोदी सरकार ने ढेरों कदम उठाये हैं। इन प्रयासों पर पिछले तीन साल में जिस तरह से काम हुआ है, उससे उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत विकासशील देश के ढप्पे से बाहर निकल कर विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो जाएगा। देश का इस परिवर्तन की दिशा में बढ़ाने के पीछे एकमात्र सोच और और विजन खुद प्रधानमंत्री मोदी का है, जिनकी सोच के अनुसार सन् 2022 तक अपना भारत 'न्यू इण्डिया' में परिवर्तित हो चुका होगा। इन सभी प्रयासों में से एक है महिला सशक्तिकरण का कदम। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस दिशा में अनेक प्रयास शुरू किए गए हैं, जिससे भारतीय नारी एक सशक्त, सुरक्षित व स्वावलम्बी नारी के रूप में देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सके। इसके लिए वर्तमान केन्द्र सरकार ने उनके योजनाएँ, कार्यक्रम व अन्य प्रयास किए हैं।

नरेन्द्र मोदीजी का कहना है कि, "मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है और अब मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास का है।"⁽¹⁾

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का उपर्युक्त कथन बताता है कि उनके विजन में शुरू से ही महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण प्रमुखता से रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो कहते हैं, वह उसे अपने कार्यक्षेत्र में स्थान भी देते हैं। उनके नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं :

(क) महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम :

(1) बेंटी बचाओं, बेंटी पढ़ाओ योजना : मोदी सरकार ने यह योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की है। इस योजना के द्वारा भारत सरकार ने जन्म से पहले भेदभाव से संघर्ष तथा संरक्षण के उपाय किए गये और जन्म के बाद बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया।⁽²⁾

यह योजना एक त्रि-मंत्रालयी प्रयास है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय शामिल हैं। यह योजना केन्द्र सरकार से सीधे जिलाधिकारी के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के बाद देश में लड़कियों का लिंगानुपात प्रति हजार लड़को की तुलना में 912 से बढ़कर 919 पर पहुँच गया है।⁽³⁾

(2) सुकन्या समृद्धि योजना : इस योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेंटी बचाओ, बेंटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत ही की गई है। इस योजना में बालिकाओं के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें पूरी शिक्षा और 18 साल की होने पर शादी के खर्च की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। यह योजना बालिकाओं और उनके माता-पिता या विधिक अभिभावक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इस खाते में एक वर्ष के दौरान न्यूनतम 1000 रुपये तथा अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस योजना में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज के साथ-साथ परिपक्व होने पर प्राप्त होने वाली आहरण राशि पर भी कर से छूट का प्रावधान कर दिया गया है।⁽⁴⁾ इस योजना के शुरू से लेकर 31 अक्टूबर 2016 तक इस योजना के तहत 99,96,085 खाते खोले जा चुके थे और खातों में 9455.30 करोड़ रुपये जमा हो चुके थे।

*शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

**शोध निर्देशक एवं वरिष्ठ व्याख्याता (राजनीति विज्ञान विभाग), पं.नवल किशोर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दौसा (राजस्थान)

तालिका 1 : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़े (31 अक्टूबर 2016 तक)

क्र.	संस्था का नाम	खाते खुले	राशि जमा (करोड़ रुपये)
1	डाक घर	8,00,121	7292.93
2	बैंक	91,95,964	2162.37
	कुल	99,96,085	9455.30

स्रोत : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ।

(3) **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना :** यह योजना मोदी सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू यह योजना महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत 30 अगस्त 2017 तक 8,63,78,230 लोग लाभ ले चुके हैं, इनमें से 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं, अर्थात् लगभग छः करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसका लाभ उठाया है। इस योजना में तीन प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं :

(क) शिशु ऋण (ख) किशोर ऋण (ग) तरुण ऋण।⁽⁶⁾

(4) **प्रधानमंत्री सुरक्षा बंधन योजना :** यह योजना अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को मिलाकर बनाया गयी है। मोदी सरकार ने देश को एक सामाजिक सुरक्षा का तंत्र देने के लिए विशेष रूप से गरीबों एवं वंचितों को सुरक्षा देने के लिए 18 अगस्त 2015 को कोलकाता से इस योजना का शुभारम्भ किया। यह एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, जिसमें सभी राष्ट्रीय बैंक जमा राशि पर 8 फीसदी की दर से ब्याज देते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बंधन योजना में 19 अप्रैल 2017 तक कुल 13,57,03,518 पंजीयन करवा चुके थे, जिसमें से अटल पेंशन योजना में 44,30,530, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 3,11,40,896 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 10,01,31,792 लोगों ने पंजीयन करवा लिया था।⁽⁶⁾

तालिका 2 : सामाजिक सुरक्षा बंधन योजनाएँ (19 अप्रैल 2017 तक)⁽⁷⁾

क्र. सं.	योजना	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिलाएँ	शहरी पुरुष	शहरी महिलाएँ	कुल
1	अटल पेंशन योजना	15,54,787	7,54,526	13,59,374	7,62,143	44,30,530
2	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	95,14,913	59,20,063	100,40,736	56,65,184	311,40,896
3	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	317,85,473	212,71,271	296,28,692	174,46,356	1001,31,792
4	कुल	428,55,173	279,45,860	410,28,802	238,73,683	13,57,03,518

स्रोत : वित्त मंत्रालय ।

(5) **प्रधानमंत्री उज्वला योजना :** 1 मई 2016 को मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गयी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2019 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को निःशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध करवाकर अज्ञानरहित ग्रामीण भारत के सपने को पूरा करना है। इस योजना में 2019 तक 5 करोड़ रियायती एल.पी.जी. कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना बहुत ही सफल और लोकप्रिय हो रही

है।⁽⁶⁾ इस योजना में 2016 के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और बी.पी.एल. परिवारों को सहायता के लिए 1600 करोड़ रुपये की सहायता भी केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है।⁽⁶⁾

(6) **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :** नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई।⁽⁶⁾ इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए करीब अब तक 11 लाख से अधिक महिलाओं को अलग-अलग तरह के हुनर में प्रशिक्षित किया गया है। उनको कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, जरीकारी आदि तथा आधुनिक तकनीक से सम्बन्धित कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(7) **नयी रोशनी योजना :** अल्पसंख्याक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करने तथा महिला सशक्तिकरण के द्वारा उनमें विश्वास जगाने के लिए इस योजना पर विशेष बल दिया जा रहा है। 2012-13 में शुरू की गयी इस योजना में मोदी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 में 14 करोड़ 13 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका फायदा 31 जनवरी 2017 तक 69,150 महिलाओं को लाभ मिला है।⁽¹⁰⁾

(8) **महिला ई-हाट :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 मार्च 2016 को 'महिला ई-हाट योजना' प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमियों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अन्तर्गत कोई 18 वर्ष की आयु प्राप्त महिला अपना सामान ई-हाट के जरिए बेच सकती है तथा अपना प्रचार कर सकती है।⁽¹¹⁾

(ख) **अन्य प्रयास :** महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अलावा नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने अनेक अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा प्रयास किए हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं :

(1) **महिला हेल्पलाइन :**

यह व्यवस्था महिलाओं के लिए 24 घंटे तत्काल और आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए की गयी है। इसके द्वारा परिवार, समुदाय, कार्यस्थल, निजी एवं सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा हेतु महिला हेल्पलाइन की व्यवस्था की गयी है। यह हेल्पलाइन नम्बर '181' सभी राज्यों में महिलाओं की

मदद के लिए उपलब्ध होगा।

(2) **मोबाइल फोन में पैनिक बटन और जीपीएस :** सभी स्मार्ट और फीचर मोबाइल फोन में महिला सुरक्षा व मदद हेतु पैनिक बटन की सुविधा सुनिश्चित की गई है। यह व्यवस्था किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं को अपने परिजनों या पुलिस स्टेशन तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए अत्यन्त ही सराहनीय कदम है। भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग के माध्यम से मोबाइल फोन हैंडसेट में पैनिक बटन होना अनिवार्य किया है। मोबाइल फोन में 5 व 9 नम्बर का बटन इसके लिए निर्धारित होगा। यह

पैनिक बटन सीधे 112 नम्बर से जुड़कर मोबाइल फोन की लोकेशन को बता देगा, जिससे सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी।⁽¹²⁾

(3) महिलाओं के लिए पासपोर्ट बनाना आसान : 13 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इण्डियन मर्चेन्ट चैम्बर की लेडीज विंग के गोल्डन जुबली समारोह में महिलाओं को पासपोर्ट बनवाने में रियायत देने की घोषणा की। अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट में अपना नाम बदलवाना जरूरी नहीं है, उनको पासपोर्ट के लिए शादी या तलाक का सर्टिफिकेट देने की भी जरूरत नहीं है। महिलाएँ पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अपने पिता या माँ का नाम लिख सकती है।

(4) **दफ्तर में सुरक्षा** : महिलाओं को अपने दफ्तर में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने और इसके खिलाफ लड़ने के लिए ई-प्लेट फार्म शुरू किया गया है। यह व्यवस्था हरियाणा के करनाल और महेन्द्रगढ़ जिले से शुरू हुई है।

(5) **महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल** : गाँवों में महिलाओं को परेशानियों से बचाने के लिए महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना लागू की गयी है। इन स्वयंसेवी पुलिसकर्मियों का काम केवल उन मामलों पर नजर रखने, जहाँ पर महिलाओं को परेशान किया जा रहा है या उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा हो से रोकना है।

(6) **मातृत्व अवकाश** : कामकाजी महिलाओं के मातृत्व काल की समस्याओं को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनके अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है।

(7) **केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में पहली बार छः महिलाएँ शामिल** : 3 सितम्बर 2017 को हुए केन्द्र की मोदी सरकार के मंत्रिमण्डल विस्तार में छः महिलाएँ शामिल की गयी है। आजादी के बाद किसी भी सरकार के कैबिनेट में छः महिला सदस्यों को पहली बार स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, मेनका गाँधी, स्मृति ईरानी, उमा भारती तथा हरसिमरत कौर बादल को कैबिनेट में शामिल कर महिलाओं के सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश दिया है।⁽¹³⁾

निष्कर्ष :

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा आजादी के बाद पिछले तीन वर्षों में महिला कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएँ, कार्यक्रम, कानूनी व सामाजिक प्रावधान लागू कर देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए हैं, जो बहुत ही सराहनीय कदम है।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से ही प्रत्येक तब के (वर्ग, जाति, धर्म) की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया है, चाहे वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिला हो या अल्पसंख्यक समुदाय की हो, सभी को समान रूप से महत्त्व देते हुए महिलाओं के कल्याण के प्रयास किए हैं।

इन सभी प्रयासों का ही परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है, जिसमें महिलाएँ पहले से ज्यादा सुरक्षित, सशक्त, मजबूत इरादे व विश्वास के साथ सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से आगे बढ़ रही है तथा राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे रही है। मोदी सरकार के प्रयासों से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में तीव्र गति से प्रगति हो रही है, जो महिलाओं के लिए सुखद स्थिति है।

सन्दर्भ :

- (1) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार (<http://www.wcd.nic.in>)
- (2) योजना, मासिक पत्रिका, मई, 2017.
- (3) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (<http://www.finmin.nic.in>)
- (4) दैनिक भास्कर, 4 सितम्बर, 2017.
- (5) राजस्थान पत्रिका, 23 जनवरी, 2015.
- (6) जनसत्ता, 2 मई, 2016.
- (7) राजस्थान पत्रिका, 8 मार्च, 2016.
- (8) दैनिक जागरण, 14 अप्रैल 2017.
- (9) पंजाब केसरी, 19 अगस्त, 2015.
- (10) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (<http://www.minorityaffairs.gov.in>)
- (11) (<http://www.sarkariyojna.co.in>)
- (12) कुरुक्षेत्र।
- (13) दैनिक भास्कर, 16 जुलाई, 2015.



UGC - APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details	
Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting,Anthropology,Business and International Management,Economics, Econometrics and Finance(all),Education,Environmental Science(all),Finance,Geography, Planning and Development,Law,Political Science a,Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities,Multidisciplinary,Social Science
Print	

Welcome to UGC, New Delh...

www.ugc.ac.in/journalist/subjectwise/journalist.aspx?tid=UmVzZWYyOzggTGluaw==6&did=Q3VycmVudCBJawPsZW4=

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all

[Home](#) [About Us](#) [Organization](#) [Commission](#) [Universities](#) [Colleges](#) [Publications](#)

UGC Approved List of Journals

You searched for Research Link [Home](#)

Total Journals : 1

Show 25 entries

View	Sl.No.	Journal No	Title	Publisher	ISSN	E-ISSN
View	1	4886	Research Link	Research Link	09731628	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous [1](#) Next

For Students

About NET UGC NET Online
Ragging Related Circulars
File Universities Educational Libn

For Faculty

Honours and Awards UGC
Regulations
Pay Related Orders M R P

More

Notices Circulars Tenders Jobs
UGC RiCs Right to Information Act
Other Higher Education Links